

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- सीता शर्मा आर.ए.एस.

दावा संख्या 29/2024

Goms:- 2024/43

दायरा दिनांक :-30.01.2024

1. सन्तराम पुत्र कृष्णराम जाति बावरी निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. भगताराम पुत्र श्री नन्दुराम जाति बावरी निवासी चक 7 एफ डी एम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— वादीगण

बनाम

1. महिया पुत्र जवाहरा जाति बावरी (फौत) जरिये वारिस :-

1/1 बुधादेवी पत्नी धन्नाराम पुत्री महिया	} अकवाम बावरी निवासीयान 16, 17
1/2 पजांब कौर पत्नी करतार सिंह पुत्री महिया	

1/3 प्रीतम सिंह पुत्र मलण सिंह (माता धन्नोदेवी पुत्री महिया मृतक)
1/4 पृथ्वीराम पुत्र महिया जाति बावरी निवासी चक 1 बी एन डब्ल्यू हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण



:: निर्णय ::

दिनांक :- 27.06.2024

- वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 91, 92ए, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपस्थित :-
1. श्री अमित कुमार सैनी अधिवक्ता :- वादीगण
 2. श्री राहुल शर्मा अधिवक्ता :- प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4
 3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादी न. 1 के परदादा वादी न. 2 के दादा व प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 के पिता/नाना महिया पुत्र जवाहरा के नाम से चक 6 एफ डी एम 'बी' के पटवार हल्का फरीदसर के खाता संख्या 47/29 के पत्थर न. 103/354(47) के किला न. 3 ता 8/1.518 हैक् कमाण्ड, 9/1 में 0.228 हैक्, 12 ता 19/2.024 हैक् कमाण्ड, 22/2 में 0.228 हैक्, 23/2 में 0.228 हैक्, 24/2 में 0.228 हैक्, 25/2 में 0.228 हैक् कुल 4.6820 हैक् कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। महिया पुत्र जवाहरा फौत हो चुके हैं। जिनके 6 जायज वारिस हैं। महिया पुत्र जवाहरा के नाम की भूमि में प्रत्येक वारिस का 1/6, 1/6 हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 अपने 4/6 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी न. 1/1 ने अपना 1/6 हिस्सा का हकत्याग वादी न. 1 सन्तराम के पक्ष में कर दिया व प्रतिवादी न. 1/2 अपने 1/6 हिस्सा का हकत्याग वादी न. 2 भगताराम के पक्ष दिनांक 24.01.2018 को निष्पादित कर दिया व प्रतिवादी न. 1/3 ता 1/4 ने अपना अपना 1/6, 1/6 हिस्सा को वादी न. 1 व 2 के पक्ष में ब.हि.बराबर हकत्याग शपथ पत्र की घोषणा के माध्यम से गवाहन के समक्ष कर दिया। महिया पुत्र जवाहरा के जायज वारिसों में 4/6 हिस्सा के अलावा 2/6 हिस्सा के लालुराम पुत्र महिया व नन्दुराम महिया से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। धन्नोदेवी पुत्री महिया फौत हो चुकी है। जिसके एक मात्र जायज वारिस प्रीतमसिंह है। जो दावा में प्रतिवादी न. 1/4 पर दर्ज है। चक 6 एफडीएम के खाता न. 47/29 के 4.6820 हैक् रकबा में वादीगण 4/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 की ओर से श्री राहुल शर्मा एडवोकेट हाजिर होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण डिक्री किया जाने का निवेदन किया व पैरोकार राज की तरफ से

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जबाब स्टेट प्रस्तुत नही करने पर बन्द किया जाता है। वादी न. 1 के परदादा वादी न. 2 के दादा व प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 के पिता/नाना महिया पुत्र जवाहरा के नाम से चक 6 एफ डी एम 'बी' के पटवार हल्का फरीदसर के खाता संख्या 47/29 के पत्थर न. 103/354(47) के किला न. 3 ता 8/1.518 हैक् कमाण्ड, 9/1 में 0.228 हैक्, 12 ता 19/2.024 हैक् कमाण्ड, 22/2 में 0.228 हैक्, 23/2 में 0.228 हैक्, 24/2 में 0.228 हैक्, 25/2 में 0.228 हैक् कुल 4.6820 हैक् कमाण्ड भुमि में वादीगण को 4/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाने का निवेदन किया व 2/6 हिस्सा की भुमि लालुराम-नन्दुराम पिसरान महिया पुत्र जवाहारा के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। धन्नोदेवी पुत्री महिया फौत हो चुकी है। जिसका एक मात्र जायज वारिस प्रीतमसिह है। जो दावा में प्रतिवादी न. 1/4 पर दर्ज है। दावा में इकबाल दावा आ चुका है। इसलिये तनकीयात कायम नही की गई व साक्ष्यवादी में वादीगण व गवाह जगदेवसिह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये व वादीगण द्वारा हकत्याग शपथ पत्र की घोषणा के माध्यम से गवाहन के समक्षदिनांक 24.01.2018, 03.01.2023, 05.04.2023 प्रस्तुत किये गये की फोटो प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। जो वादीगण द्वारा प्रदर्शित है। उभयपक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नही किया। उभयपक्ष के साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुनी गई।



हमने उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य हकत्याग शपथ पत्र की घोषणा के माध्यम से गवाहन के समक्ष दिनांक 24.01.2018, 03.01.2023, 05.04.2023 प्रस्तुत चक 6 एफ डी एम 'बी' में वादी न. 1 परदादा वादी न. 2 के दादा व प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 के पिता/नाना महिया पुत्र जवाहरा के नाम से चक 6 एफ डी एम बी के पटवार हल्का फरीदसर के खाता संख्या 47/29 के पत्थर न. 103/354(47) के किला न. 3 ता 8/1.518 हैक् कमाण्ड, 9/1 में 0.228 हैक्, 12 ता 19/2.024 हैक् कमाण्ड, 22/2 में 0.228 हैक्, 23/2 में 0.228 हैक्, 24/2 में 0.228 हैक्, 25/2 में 0.228 हैक् कुल 4.6820 हैक् कमाण्ड रकबा में वादीगण 4/6 हिस्सा की घोषणा करना हम उचित समझते हैं। शेष 2/6 हिस्सा महिया पुत्र जवाहरा के जायज वारिस लालुराम पुत्र महिया व नन्दुराम पुत्र महियाके नाम दर्ज किया जाना हम उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को जैर वाद चक 6 एफ डी एम 'बी' के खाता न. 47/29 के 4.6820 हैक् रकबा में 4/6 का हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 के पिता/नाना के नाम की चक 6 एफ.डी.एम. 'बी' के पटवार हल्का फरीदसर के खाता संख्या 47/29 के पत्थर न. 103/354 (47) के किला न. 3 ता 8/1.518 हैक् कमाण्ड, 9/1 में 0.228 हैक्, 12 ता 19/2.024 हैक् कमाण्ड, 22/2 में 0.228 हैक्, 23/2 में 0.228 हैक्, 24/2 में 0.228 हैक्, 25/2 में 0.228 हैक् कुल 4.6820 हैक् कमाण्ड रकबा में वादीगण के नाम 4/6 हिस्सा विशेष 2/6 हिस्सा महिया पुत्र जवाहरा के जायज वारिस लालुराम पुत्र महिया व नन्दुराम पुत्र महिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरत नग (राज.)

(ओ0 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिकी ::-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :-सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

-:: अनवान ::-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलैक्टर, सूरतगढ जिला-श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- सीता शर्मा आर.ए. एस.

दावा संख्या 29/2024

दायरा दिनांक :- 30.01.2024

1. सन्तराम पुत्र कृष्णराम जाति बावरी निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. भगताराम पुत्र श्री नन्दुराम जाति बावरी निवासी चक 7 एफ डी एम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

- वादीगण

बनाम

1. महिया पुत्र जवाहरा जाति बावरी (फौत) जरिये वारिस :-

1/1 बुधादेवी पत्नी धन्नाराम पुत्री महिया } अकवाम बावरी निवासीयान
1/2 पजांब कौर पत्नी करतार सिंह पुत्री महिया } 16, 17 एच तहसील व जिला
श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/3 प्रीतम सिंह पुत्र मलण सिंह (माता धन्नोदेवी पुत्री महिया मृतक)

1/4 पृथ्वीराम पुत्र महिया जाति बावरी निवासी चक 1 बी एन डब्ल्यू हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्तगत धारा 88, 91, 92ए, 207 व 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 29 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री अमित कुमार सैनी व प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 श्री राहुल शर्मा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/4 के पिता/नाना के नाम की चक 6 एफ.डी.एम. 'बी' के पटवार हल्का फरीदसर के खाता संख्या 47/29 के पत्थर न. 103/354(47) के किला न. 3 ता 8/1.518 हैक् कमाण्ड, 9/1 में 0.228 हैक्, 12 ता 19/2. 024 हैक् कमाण्ड, 22/2 में 0.228 हैक्, 23/2 में 0.228 हैक्, 24/2 में 0.228 हैक्, 25/2 में 0.228 हैक् कुल 4.6820 हैक् कमाण्ड रकबा में वादीगण के नाम 4/6 हिस्सा व शेष 2/6 हिस्सा महिया पुत्र जवाहरा के जायज वारिस लालुराम पुत्र महिया व नन्दुराम पुत्र महिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

नोज,..... मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह फस्दों की पालना आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27.10.24 को जारी की गई।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)